

आधार संख्या को डाकघर बचत बैंक खाते से जोड़ने और खाते में डीबीटी हितलाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन - एनपीसीआई मैपिंग

सेवा में,

मुख्य पोस्टमास्टर/प्रधान पोस्टमास्टर /उप पोस्टमास्टर

दिनांक :

_____ डाकघर

खाता संख्या _____ खाताधारक का नाम _____

प्रत्यक्ष लाभांतरण राशि प्राप्त करने हेतु एनपीसीआई मैपर में आधार को जोड़ना

आपके डाकघर की _____ शाखा में मेरा डाकघर बचत बैंक खाता है, जिसकी संख्या _____ है।

2. मैं, अपना आधार सं. प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ (स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न) और निम्नलिखित के लिए स्वेच्छा से अपनी सहमति व्यक्त करता/करती हूँ :

- यूआईडीएआई द्वारा अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ, मेरे आधार संबंधी विवरण का प्रयोग किया जा सकता है।
- मेरे निम्नांकित मोबाइल नं. पर मुझे एसएमएस अलर्ट भेजे जा सकते हैं।
- मेरे सभी मौजूदा/नए/भविष्य में खोले जाने वाले डाकघर खातों और ग्राहक संबंधी सामान्य जानकारी (कस्टमर प्रोफाइल) को आधार नंबर से संबद्ध किया जा सकता है।

(ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

3. डीबीटी हितलाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प (किसी एक को चुनें)

- मेरे खाता सं. _____ को एनपीसीआई मैपर से संबद्ध कर दिया जाए, ताकि भारत सरकार की ओर से एलपीजी सब्सिडी सहित अन्य देय प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) मुझे उक्त खाते के जरिए प्राप्त हों। मैं इस बात से अवगत हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक लाभांतरण राशि देय होगी, तो ये सभी राशियां मुझे इसी खाते के जरिए प्राप्त होंगी। (ऐसे ग्राहकों के लिए, जिन्होंने अभी तक अपने खाते को एनपीसीआई मैपर से नहीं जोड़ा है।)
- मेरा एक खाता पहले से ही _____ डाकघर में है, जिसकी आईआईएन संख्या* _____ है और यह खाता, भारत सरकार की ओर से प्रत्यक्ष लाभांतरण राशि प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई मैपर से संबद्ध है। **अनुरोध है कि इसमें परिवर्तन करते हुए, एनपीसीआई मैपिंग (प्रत्यक्ष लाभांतरण खाता) को आपके डाकघर में मौजूद मेरे खाते से संबद्ध कर दिया जाए।**
- मेरा एक खाता पहले से ही _____ बैंक में है, जिसकी आईआईएन संख्या** _____ है और यह खाता, भारत सरकार की ओर से प्रत्यक्ष लाभांतरण राशि प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई मैपर से संबद्ध है। **मैं अपने मौजूदा बैंक/डाकघर खाते से संबद्ध एनपीसीआई मैपिंग (प्रत्यक्ष लाभांतरण खाता) में कोई परिवर्तन नहीं चाहता।**
- मैं, आपके डाकघर में मौजूद मेरे खाते को एनपीसीआई मैपर से संबद्ध करने का इच्छुक नहीं हूँ (मुझे प्रत्यक्ष लाभांतरण राशि प्राप्त नहीं होगी।)

4. मुझे यह समझा दिया गया है कि अधिप्रमाणन के बाद किस प्रकार की जानकारी को साझा किया जा सकता है। मुझे भली-भांति अवगत करा दिया गया है कि मेरे द्वारा डाकघर को एतद्वारा प्रदान की गई जानकारियों का इस्तेमाल, उपरोक्त प्रयोजन अथवा विधि संबंधी आवश्यकता के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

5. मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की गई उपरोक्त समस्त जानकारी सत्य, सटीक और पूर्ण है।

भवदीय/भवदीया

(ग्राहक के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

नाम :

पिता/पति का नाम :

खाता संख्या :

ग्राहक का पता :

मोबाइल नं. तथा ई-मेल

डाकघर का नाम (शाखा सहित) :

संलग्न : आधार पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

(ग्राहक के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

* एनपीसीआई मैपिंग : मैपिंग वह प्रक्रिया है, जिसके तहत आधार संख्या को किसी बैंक/डाकघर से संबद्ध किया जाता है। यह प्रक्रिया एनपीसीआई द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य, प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने हेतु, ग्राहक की सहमति से, आधार नं. से जुड़े किसी डाकघर बचत बैंक/बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभांतरण राशि जमा करना है।

** आईआईएन नं., सहमति संबंधी आवेदन प्राप्त होने के बाद बैंक/डाकघर द्वारा प्रदान किया जाएगा।